जयपुर विधियां (विधि मान्यकारी) अधिनियम, 1952

(1952 का अधिनियम सं. 31)

[राष्ट्रपति की अनुमति 28 दिसम्बर, 1952 को प्राप्त हुई]

राजस्थान के जयपुर नामक भूतपूर्व भारतीय राज्य की कतिपय विधियों को विधिमान्य करने हेतु अधिनियम।

यत: राजस्थान के जयपुर नामक भूतपूर्व भारतीय राज्य की कतिपय विधियेां की विधि मान्यता के संबंध में सन्देह उत्पन्न् हुए है;

और यत: ऐसे सन्देहों का निराकरण करना और यह घोषणा करना समीचीन है कि ऐसी समस्त विधियां विधिमान्यत: अधिनियमित की गई है;

एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1. <u>संक्षिप्त नाम.-</u> इस अधिनियम का नाम जयपुर विधियां (विधि मान्यकारी) अधिनियम, 1952 है।

2. <u>कतिपय जयपुर-विधियों का विधिमान्यकरण</u>.- जयपुर लाज एक्ट, 1924 या जयपुर जनरल क्लाजेज एक्ट, 1944 में या किसी अन्य विधि में या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी जयपुर-विधि केवल इस तथ्य के कारण अविधिमान्य नही समझी जायेगी या कभी अविधिमान्य रही नही समझी जायेगी कि ऐसी विधि राज-पत्र में प्रकाशित नही की गई थी या अन्यथा सम्यक रूप से प्रख्यापित या प्रकाशित नही की गई थी ; और प्रत्येक ऐसी विधि इस बात के होते हुए भी कि वह इस प्रकार प्रख्यापित या प्रकाशित नहीं की गई थी, उस तारीख को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी जिसको वह बनाई गई थी और जब तक किसी सक्षम विधायी प्राधिकरण द्वारा निरसित न कर दी जाए तब तक प्रवृत और प्रवृत्त रही समझी जायेगी।

<u>स्पष्टीकरण :</u>- इस धारा में जयपुर-विधि से, संविधान की सातवी अनुसूची की सूची II और III में प्रमाणित किन्हीं मामलों के संबंध में अब राजस्थान राज्य में समाविष्ट जयपुर नामक भूतपूर्व भारतीय राज्य की बाबत अप्रेल 7, 1949 से पूर्व सक्षम विधायी प्राधिकरण द्वारा बनाई गई कोई अधिनियमित या विनियम अभिप्रेत है।